I

अत्यावश्यक

नगरपालिका उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - न.नि. 50-254/2022 - 229

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया

पटना, दिनांक - 19.1.24

विषय : नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 - विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन के गतिविधि संधारण के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के रिक्त पदों से संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से सभी मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग हेतु एक-एक कैमरा लगाये जाने हेतु आयोग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से वेब कैमरा उपलब्ध कराया गया है।

सारण जिला को 20 कैमरा अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये हैं, जिसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आवास के निकट पड़ने वाले संवेदनशील मतदान केन्द्रों के बाहर अधिष्ठापित किये जायेंगे। जिसका चयन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) स्तर से किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा कर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन की गतिविधि पर नजर रखने हेतु संवेदनशीन मतदान केन्द्रों पर **विडियो रिकॉर्डिंग (विडियोग्राफी)** की व्यवस्था की जा सकती है।

मतदान केन्द्रों पर वेब कैमरा अधिष्ठापित कराये जाने हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिया गया है :-

(क) मतदान केन्द्र के अन्दर वैब कैमरा इस प्रकार लगाया जाय किसी भी परिस्थिति में पोलिंग कम्पार्टमेन्ट या उसका भीतरी हिस्सा जहाँ ई.वी.एम. मशीन रखा हो अथवा मतदाता मतपत्र पर मत अंकित कर रहा हो, वह कैमरा में नहीं दिखना चाहिये। परन्तु मतदान केन्द्र के अन्दर वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के आस-पास सहित अन्य गतिविधि पर निगरानी रखी जाय।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत इन्टरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने के निमित्त इंटरनेट सेवा प्रदाता से बैठक कर निदेशित किया जाय।

(ग) वेबकास्टिंग कार्य के हेतु एक नोडल पदाधिकारी को नामित करते हुये उनका नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या आयोग को संसूचित की जाय। एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका में नोडल के रूप में कार्य करेंगे।

(घ) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वैब कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु मानव बल की व्यवस्था की जाय, जिसके लिए चयनिय एजेंसी द्वारा रू. 500/- (पाँच सौ) प्रत्येक कैमरा के दर से भुगतान किया जायेगा।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

18.1.24

(ङ) वेबकास्टिंग पूर्व के कई निर्वाचनों में किये गये हैं, फिर सुविधा हेतु प्रशिक्षण विडियो **https://estv.in/cameraapp/** *लिंक पर अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही एजेंसी के हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है, जो निम्न है :-*

Sl.	District	Contact Person	Contact No.	Sl.	District	Contact Person	Contact No.
1.	Araria	Santosh	77439 64944	7.	Sitamarhi	Amrat	98253 18840
2.	Gaya	Amrat	98253 18840	8.	Darbhanga	Jay	7778050309
3.	Kaimur	Mansukh	98253 18849	9.	Nalanda	Priyanshu	9723069797
4.	Madhepura	Santosh	77439 64944	10.	Patna	Vinu	92278 97816
5.	W.Chamar.	Vinu	92278 97816	11.	Saran	Jay/Manshukh/Parth	7778050309
6.	E. Champar.	Vinu	92278 97816	12.	Vaishali	Amrat	98253 18840

(च) जिला नियंत्रण कक्ष एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर नियंत्रण कक्ष द्वारा वेबकास्टिंग किये जा रहे मतदान केन्द्रों का सतत् अनुश्रवण की जाय। यदि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार का गड़वड़ी पायी जाये तो उसपर तत्क्षण भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय - 9 (निर्वाचन संबंधी अपरोधों के विषय में) के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सुल प्रसंग हेतु भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय - 9 (निर्वाचन संबंधी अपरोधों के विषय में) संलग्न है।

(छ) मतदान केन्द्रों पर ***मतदान के दिन होने वाले वेबकास्टिंग से संबंधित प्रतिवेदन*** *प्रेषित करने हेतु एक* ***प्रपत्र*** *पत्र के साथ संलग्न किया गया है। जिसे* ***मतदान उपरान्त संबंधित प्रपत्र*** *को भरकर* ***निर्वाची पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित*** *प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करना है।* ***उक्त प्रतिवेदन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर आयोग को भजेंगे।***

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधि त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-254/2022 - 229 *पटना, दिनांक - 19.1.24*

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-254/2022 - 229 *पटना, दिनांक - 19.1.24*

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), दरभंगा, कोशी (सहरसा) एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-254/2022 - 229 *पटना, दिनांक - 19.1.24*

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

मतदान के दिन वेबकास्टिंग का प्रतिवेदन (दिनांक .....)								
जिला का नाम				नगरनिकाय का नाम				पद
क्र0	मतदान केन्द्र का नाम	मतदान केन्द्र का संख्या	कैमरा नं0	कैमरे की स्थिति				अभ्युक्ति
				कार्यशील	अकार्यशील	सही (उचित दिशा की ओर कैमरा की स्थिति)	गलत (अनुचित दिशा की ओर कैमरा की स्थिति)	
कुल								

प्रतिहस्ताक्षर

एजेंसी के प्राधिकृत कर्मी
का नाम एवं हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

तकनीकी नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
सह जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Exception.—This provision does not extend to the case in which the harbour is given by the spouse of the deserter.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for 2 years, or fine, or both—Cognizable—Bailable—Triable by any Magistrate—Non-compoundable.

165. Deserter concealed on board merchant vessel through negligence of master.—The master or person in charge of a merchant vessel, on board of which any deserter from the Army, Navy or Air Force of the Government of India is concealed, shall, though ignorant of such concealment, be liable to a penalty not exceeding three thousand rupees, if he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge, or but for some want of discipline on board of the vessel.

Classification of Offence

Punishment—Fine of 3,000 rupees—Non-cognizable—Bailable—Triable by any Magistrate—Non-compoundable.

166. Abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman.—Whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force, of the Government of India, shall, if such act of insubordination be committed in consequence of that abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for 2 years, or fine, or both—Cognizable—Bailable—Triable by any Magistrate—Non-compoundable.

167. Persons subject to certain Acts.—No person subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Army Act, 1950 (46 of 1950) and the Navy Act, 1957 (62 of 1957), or shall be subject to punishment under this Sanhita for any of the offences defined in this Chapter.

168. Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman.—Whoever, not being a soldier, sailor or airman in the Army, Naval or Air service of the Government of India, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for 3 months, or fine of 2,000 rupees, or both—Cognizable—Bailable—Triable by any Magistrate—Non-compoundable.

CHAPTER IX

Of Offences relating to Elections

169. Candidate, electoral right defined.—For the purposes of this Chapter—

(a) "candidate" means a person who has been nominated as a candidate at any election;

अपवाद.—इस उपबन्ध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी/पति, द्वारा अपने पति/पत्नी को संश्रय दिया जाता है।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—2 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों—संज्ञेय—जमानतीय—कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

165. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक.—किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के सम्बन्ध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दण्डनीय होगा जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किन्तु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्त्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—3,000 रुपए का जुर्माना—संज्ञेय—जमानतीय—कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण.—जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों—संज्ञेय—जमानतीय—कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

167. कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति.—वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अध्यधीन कोई व्यक्ति, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं होगा।

168. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना.—जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—3 माह के लिए कारावास, या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों—संज्ञेय—जमानतीय—कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

अध्याय 9

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

169. अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(b) "electoral right" means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at an election.

170. Bribery.—(1) Whoever—

(i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right,

commits the offence of bribery:

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

171. Undue influence at elections.—(1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), whoever—

(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind; or

(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).

(3) A declaration of public policy or a promise of public action or the mere exercise or a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

172. Personation at elections.—Whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence of personation at an election:

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

170 रिश्वत.—(1) जो कोई—

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; या

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना.—(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई—

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, या

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

वह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

172. निर्वाचनों में प्रतिरूपण.—जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है :

Provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorised to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force in so far as he votes as a proxy for such elector.

173. Punishment for bribery.—Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both:

Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.

Explanation.—"Treating" means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for 1 year or fine, or both, or if treating only, fine only—Non-cognizable—Bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.

174. Punishment for undue influence or personation at an election.—Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for 1 year, or fine, or both—Non-cognizable—Bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.

175. False statement in connection with an election.—Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine.

Classification of Offence

Punishment—Fine—Non-cognizable—Bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.

176. Illegal payments in connection with an election.—Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees:

Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

Classification of Offence

Punishment—Fine of 10,000 rupees—Non-cognizable—Bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.

177. Failure to keep election accounts.—Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five thousand rupees.

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

173. रिश्वत के लिए दण्ड.—जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा :

परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—"सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना—असंज्ञेय—जमानतीय—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

174. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड.—जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों—1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों—असंज्ञेय—जमानतीय—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

175. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन.—जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—जुर्माना—असंज्ञेय—जमानतीय—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

176. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय.—जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अधिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—10,000 रुपए का जुर्माना—असंज्ञेय—जमानतीय—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

177. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता.—जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

Classification of Offence

Punishment—Fine of 5,000 rupees—Non-cognizable—Bailable—Triable by Magistrate of the first class—Non-compoundable.

CHAPTER X

Of Offences relating to Coin, Currency-Notes, Bank-Notes, and Government Stamps

178. Counterfeiting coin, Government stamps, currency-notes or bank-notes.—Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, any coin, stamp issued by Government for the purpose of revenue, currency-note or bank-note, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this Chapter,—

(1) the expression "bank-note" means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world, or issued by or under the authority of any State or Sovereign Power, and intended to be used as equivalent to, or as a substitute for money;

(2) "coin" shall have the same meaning as assigned to it in Section 2 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011) and includes metal used for the time being as money and is stamped and issued by or under the authority of any State or Sovereign Power intended to be so used;

(3) a person commits the offence of "counterfeiting Government stamp" who counterfeits by causing a genuine stamp of one denomination to appear like a genuine stamp of a different denomination;

(4) a person commits the offence of counterfeiting coin who intending to practise deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practised, causes a genuine coin to appear like a different coin; and

(5) the offence of "counterfeiting coin" includes diminishing the weight or alteration of the composition, or alteration of the appearance of the coin.

Classification of Offence

Punishment—Imprisonment for life, or imprisonment for 10 years and fine—Cognizable—Non-bailable—Triable by Court of Session—Non-compoundable.

179. Using as genuine, forged or counterfeit coin, Government stamp, currency-notes or bank-notes.—Whoever imports or exports, or sells or delivers to, or buys or receives from, any other person, or otherwise traffics or uses as genuine, any forged or counterfeit coin, stamp, currency-note or bank-note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—5,000 रुपए का जुर्माना—असंज्ञेय—जमानतीय—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय —अशमनीय।

अध्याय 10

सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

178. सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण.—जो कोई, किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "बैंक-नोट" पद से वचन-पत्र या मांग पर धारक को धन के संदाय हेतु व्यवस्था अभिप्रेत है जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रचालित धन के स्थान पर या उसके समतुल्य प्रयोग किए जाने हेतु आशयित है;

(2) "सिक्का" पद का वही अर्थ होगा जो इसका सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 2 में इसका है और इसके अन्तर्गत तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित धातु भी है;

(3) कोई व्यक्ति "सरकार स्टाम्प कूटकरण" का अपराध करेगा, जो एक अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देने का कूटकरण करता है;

(4) जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए बनाता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह यह सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है; और

(5) "सिक्का कूटकरण" अपराध के कूटकरण में सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण परिवर्तन या दिखाई देने में परिवर्तन सम्मिलित है।

अपराध का वर्गीकरण

दण्ड—आजीवन कारावास, या 10 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना—संज्ञेय—अजमानतीय —सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय—अशमनीय।

179. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना.—जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट, को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए आयात करेगा या निर्यात करेगा या बेचेगा या परिदत्त करेगा या क्रय करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुव्यापार करेगा या असली के रूप में उपयोग करेगा, वह आजीव कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारवास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।